दिनांक 20.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 36/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद कासगंज द्वारा आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का किया गया शुभारम्भ

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 20.11.2025 को जनपद कासगंज में परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक अलीगंढ़ परिक्षेत्र, जिलाधिकारी कासगंज एवं पुलिस अधीक्षक कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एवं एटा, एसपीआरए अलीगढ़, सहायक अभियोजन अधिकारी कासगंज, विभिन्न स्कूलों के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि, बैंक कर्मी, सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े जनपदों के साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, मीडिया बंधुओं तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री अमित दूबे का आभार व्यक्त किया गया तथा इस कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जन-जागरूकता फैलाने के लिए आयोजकों तथा विशेषज्ञगण का धन्यवाद किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन आया है। डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अब प्रत्येक घर की आवश्यकता बन चुके हैं। भारत आज प्रति व्यक्ति डिजिटल वित्तीय लेन-देन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। कोविड काल के पश्चात ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण है कि भारत में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्तमान समय में अधिकांश लोग प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है परन्तु इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी अत्यधिक चिंताजनक रूप में सामने आ रही हैं, इसीलिए आवश्यकता है कि हम इंटरनेट को केवल सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। आज यदि हम सजग एवं सतर्क रहें और मर्यादा तथा नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट का उपयोग करें, तो यह दुनिया को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

1. समाज पर साइबर अपराध का प्रभाव

- वर्तमान परिदृश्य में समाज का शायद ही कोई वर्ग साइबर क्राइम से अप्रभावित रहा हो।
- हमारे स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं।
- महिलाएं एवं बालिकाएं साइबर स्टॉकिंग तथा अन्य महिला-केंद्रित साइबर अपराधों की शिकार होती हैं।

2. डिजिटल अरेस्ट- एक उभरता खतरा

डिजिटल अरेस्ट एक उभरता हुआ साइबर अपराध है, जिससे सभ्रांत वर्ग के नागरिक एवं पेंशनर्स शिकार हुए हैं और जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं।

3. आर्थिक अपराध के तीन प्रमुख कारण

अधिकांश लोग तीन कारणों से साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं-

A- लालच- लगभग 70% साइबर वित्तीय अपराध लालच की वजह से होते हैं। अक्सर लोग पैसा जल्दी कमाने या दोगुना करने जैसी लालचपूर्ण योजनाओं में फँस जाते हैं।

B- भय - यह सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल अपराध है। साइबर अपराधी स्वयं को CBI, पुलिस, कस्टम अधिकारी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को मानसिक रूप से भयभीत करते हैं। वे पार्सल में ड्रग्स मिलने, गंभीर शिकायत दर्ज होने, या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर नागरिकों को भ्रमित करते हैं और इसी डर का फायदा उठाकर उनसे ठगी करते हैं। जबकि भारत में कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसे जमा करने को नहीं कहती है।

C- लापरवाही- ओटीपी साझा करना, पर्सनल जानकारी देना, फर्जी लिंक पर क्लिक करना— ये पुरानी समस्याएँ हैं। लेकिन अभी का सबसे नया और खतरनाक तरीका है— .APK फाइल। अपराधी किसी शादी का निमंत्रण, विशेष सूचना या बैंक अलर्ट का मैसेज भेजकर .APK लिंक क्लिक करवाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं— आपका फोन हैक हो जाता है। पासवर्ड, बैंक डिटेल, UPI डेटा— सब चोरी हो जाता है। किसी भी अनजान .APK फाइल को कभी मत खोलें।

4. नागरिकों के लिए तीन जरूरी उपाय साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर ध्यान देना चाहिए:

- **तत्काल 1930 डायल करें-** यह देश की सबसे मजबूत साइबर हेल्पलाइन है, जिसके पीछे 654 बैंक और NBFC जुड़े हैं। जिस क्षण आप कॉल करते हैं—आपकी ट्रांजैक्शन आईडी ली जाती है, जिस अकाउंट में पैसा गया है वह तुरंत फ्रीज़ हो जाता है ।
- **गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें-** सबसे महत्वपूर्ण बात समय का है यदि 30 मिनट से अधिक देर हुई तो पैसा दूसरी–तीसरी लेयर में चला जाता है और रिकवरी कठिन हो जाती है।

- **सही तथ्यों को दर्ज करें-** साइबर अपराध होने की दशा में तत्काल, सही, और सटीक सूचना देना आवश्यक है। एक भी अंक गलत हुआ तो पैसा गलत खाते में फ्रीज़ हो सकता है।

5. बच्चों और युवाओं में साइबर सजगता

- बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव के बारे में सतर्क करना आवश्यक है। बच्चो एवं युवाओं को यह समझना होगा कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है न कि खेलने वाला ।
- आज के युग में सोशल मीडिया नशे की तरह युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है।
- इसके लिए हमें और अधिक सतर्क एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

6. पुलिस अधिकारियों के लिए संदेश

थाना प्रभारियों को यह अवधारणा त्यागनी होगी कि ''साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते।'' साइबर अपराध की जांच (Investigation) पूर्णतः SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward) है। यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह-सात चरणों को समझकर पाएगा कि यह सामान्य आपराधिक जांच से भी अधिक सरल और त्वरित है। साइबर अपराध का दायरा और दुष्प्रभाव प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिको का पुलिस पर विश्वास और भरोसा भी सुदृढ़ होगा।

7. साइबर सुरक्षा में नागरिक सहभागिता

साइबर क्राइम से बचाव हेतु मजबूत पासवर्ड एवं अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सदैव सतर्क रहें।

- उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक-केंद्रित, त्वरित एवं पारदर्शी साइबर कानून प्रवर्तन के साथ-साथ राज्य को साइबर अपराध-मुक्त तथा देश को साइबर नियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- यह लक्ष्य तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक सतर्क, सजग और सहयोगी बनकर इस मिशन में सहभागी बने।
- सुरक्षित डिजिटल उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब जनता और पुलिस साथ हों।

अंत में कहा कि साइबर क्राइम जितनी तेजी से बढ़ सकता है, उतनी ही तेजी से नियंत्रण में भी आ सकता है—शर्त है कि हम सब जागरूक हों।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

जनपद कासगंज

दिनांक 20.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 37/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–लूट के अभियोग में वांछित एवं 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त व गैंग का सरगना तबरेज आलम गिरफ्तार।

दिनांक 20–11–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता में वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तबरेज आलम को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

तबरेज आलम पुत्र अफसार अहमद निवासी राजापुर मलुहा थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

ग्राम लोहरा थाना क्षेत्र संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी, दिनांक 20–11–2025 समय 16:15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता में वांछित व 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त तबरेज आलम की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त तबरेज आलम अपने चाचा अफजल पुत्र अली जफ्फार के घर पर छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण प्रवीण जायसवाल, रोहित सिंह, अनूप राय, अजय कुमार यादव, किशन चन्द्र, सुनील कुमार व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप

पाण्डेय की टीम द्वारा ग्राम लोहरा, थाना क्षेत्र संदीपन घाट, जनपद कौषाम्बी से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त तबरेज आलम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो चोरी, लूट आदि घटनाएं करता है। इसका मुख्य साथी साहिल व सत्तार है, जिनके साथ मिलकर यह घटना को अन्जाम दिया करता हैं। दिनांक 21/22–09–2024 की रात्रि में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हथिगवां मोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया जहॉ पर वह अपने साथी साहिल व सत्तार के साथ मिलकर पिछा करते हुए जी0डी0एस0 कालेज रामपुर के पास बने ब्रेकर के पास उस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोककर उसकी मोटर साइकिल छीनकर भाग गया। इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 412/24 धारा 309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में सम्मिलित उसके साथी साहिल व सत्तार को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त अभियोग में उसके विरूद्ध पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर छिपकर रहने के उद्‌देश्य से अपने चाचा अफजल पुत्र अली जफ्फार के घर ग्राम लोहरा थाना क्षेत्र संदीपन घाट जनपद कौशाम्बी में रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त तबरेज आलम उपरोक्त को थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2024 धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त तबरेज आलम उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	699/18	41/411/413/419/420 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
2	162/22	323/427/506 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
3	175/22	147/323/392/504/506 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
4	688/22	507 भादवि	सोरांव	प्रयागराज
5	391/24	115(2)/309(4) बीएनएस	नवाबगंज	प्रयागराज
6	493/24	303(2)/317(2) बीएनएस	नवाबगंज	प्रयागराज
7	412/24	309(4) बीएनएस	नवाबगंज	प्रयागराज
8	523/24	317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट	नवाबगंज	प्रयागराज

एस0टी0एफ0–जनपद मैनपुरी से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी बिल्लू उर्फ अजय सिंह पुत्र कृपाल सिंह एसटीएफ द्वारा जनपद मैनपुरी से गिरफ्तार।

दिनाकः 20–11–2025 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को जनपद मैनपुरी के कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 3314/2007 धारा 302 भांदवि0 व अ0सं0–294/2008 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 3463/2007 धारा 436 भांदवि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी बिल्लू पुत्र कृपाल सिंह को जनपद मैनपुरी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1– बिल्लू उर्फ अजय सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी गिहार कालोनी नवीन मण्डी के सामने, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

करहल रोड पर बने महिला छात्रावास के पास सडक थाना क्षेत्र कोतवाली, जनपद मैनपुरी। दिनांक 20–11–2025 समय 15:30 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य साईबर अपराधो में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस संबध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ फील्ड इकाई आगरा के निकट पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में मु0आरक्षी दिनेश कुमार गौतम, मय टीम मु0आरक्षीगण बल्देव सिंह, प्रदीप यादव, आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी चालक महेश रावत की टीम मैनपुरी में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पुरस्कार घोषित अपराधी जो कि काफी समय से लगातार गैरहाजिर है और जिसके मा0न्यायालय से स्थाई वांरट जारी है, जनपद मैनपुरी के कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 3314/2007 धारा 302 भांदवि0 व अ0सं0–294/2008 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 व 3463/2007 धारा 436 भांदवि0 में रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित है। यह अपराधी करहल रोड पर मौजूद है, अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है, इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस थाना कोतवाली मैनपुरी को अवगत कराते हुए साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त बिल्लू ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2007 में उसके व उसके चचेरे भाई नीरज पुत्र कुवंर पाल निवासी नई मण्डी के सामने गिहार कालोनी, थाना कोतवाली मैनपुरी व रिंकू पुत्र कुवंर पाल के ऊपर हत्या का मुकदमा अ0सं0 3314/2007 पंजीकृत है, जिसमें नीरज को आजीवन सजा हो चुकी है। अभियुक्त कोर्ट में डिसीजन पर नही गया था तो उसको मफरूर कर दिया गया। उसके बाद कई अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुए है। कई बार जेल भी गया है। यह अभियुक्त मु0अ0सं0–134/2014 धारा 394/307 भांदवि0 थाना गुमनपुरा कोटा राजस्थान से भी मफरूर चल रहा है।

अभियुक्त बिल्लू पुत्र कृपाल सिंह का अपराधिक इतिहास।

क0स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	1820/2011	307/506 भांदवि0	कोतवाली	मैनपुरी
2	3463/2007	436 भांदवि0	कोतवाली	मैनपुरी
3	294/2008	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	मैनपुरी
4	401/2009	2/3 गैंगस्टर एक्ट	कोतवाली	मैनपुरी
5	3314/2007	302 भादंवि0	कोतवाली	मैनपुरी
6	एनसीआर न0–23/2009	506 भादंवि0	कोतवाली	मैनपुरी
7	134/2014	394/307 भांदवि0	गुमनपुरा	कोटा सिटी राजस्थान।

एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा अवैध नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 62 प्लास्टिक की बोरी में नशीला सिरप PHENSEDYL 100 ML, COUGH SYRUP (कुल 18600 शीशी) व 502 कार्टून मे ESKUF 100 ML, COUGH SYRUP (कुल 75150 शीशी) की कुल 93,750 शीशीयां (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 96 लाख 87 हजार 500 रूपये), 02 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद वाहन टीवीएस स्पोर्ट व 4,230/– रू0 नगद बरामद किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0 लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा अवैध नशीली

दवाओं की तस्करी करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर जिसका नाम आजाद जायसवाल पुत्र सुभाष चन्द्र जायसवाल नि0 पिचास मोचन, रमाकान्त नगर, चेतगंज, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 62 प्लास्टिक की बोरी में नशीला सिरप PHENSEDYL 100 ML, COUGH SYRUP व 502 कार्टून में ESKUF100 ML, COUGH SYRUP की कुल 93,750 शीशीयां (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 96 लाख 87 हजार 500 रूपये), 02 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद वाहन टीवीएस स्पोर्ट व 4,230/- रू0 बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनिया जनपद वरूणा (कमिश्नरेट वाराणसी) पर मु0अ0सं0 343/25 धारा 8/21/25 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया । उपरोक्त कार्यवाही में FSDA व कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सहयोग किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह यह माल अपने दो साथियों द्वारा छूपाकर रखा गया था, जिसे मौका देखकर यह लोग चोरी छिपे विक्रय करने वाले थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। इस अपराध में संलिप्त इसके अन्य दो सहयोगियों के विरूद्ध भी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1– आजाद जायसवाल पुत्र सुभाष चन्द्र जायसवाल नि0 पिचास मोचन, रमाकान्त नगर, चेतगंज, काशी, कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 47 वर्ष लगभग।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 19.11.2025, स्थान– प्रयागराज से कलकत्ता हाईवे के, भदवर थाना रोहनिया जनपद वरूणा(कमिश्नरेट वाराणसी)

बरामदगी का विवरण

1– 62 प्लास्टिक की बोरी में अवैध नशीला सिरप PHENSEDYL 100 ML, COUGH SYRUP की कुल 18600 शीशी व 502 कार्टून मे ESKUF100 ML, COUGH SYRUP की कुल 75150 शीशी (जिसका कीमत लगभग 01 करोड़ 96 लाख 87 हजार 500 रूपये)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद वाहन टीवीएस स्पोर्ट

4– 4,230/- रू0 नगद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1– निरीक्षक दर्शन यादव

2– हे0का0 संगम पटेल

3– हे0का0 दिनेश सिंह

4– हे0का0 मो0 खालिद खान

5– का0 राजन कुमार

सहयोगार्थ टीम चौकी भदवर कमिश्नरेट वाराणसी–

1. औषधि निरीक्षक वाराणसी श्री चन्द्रेश द्विवेदी
2. उ0नि0 श्री राम कुमार पाण्डेय
3. हे0का0 संजय चौहान
4. का0 बृजेश कुमार

जनपद हरदोई/थाना अतरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के आभूषण**
- **चोरी के 15 हजार 170 रुपये नकद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित /खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 20.11.2025 को थाना अतरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेरी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गयी फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रामजी सहित अभियुक्त 2–विजय घायल हो गये जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के आभूषण, चोरी के 15 हजार 170 रुपये नकद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित /खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रामजी शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अतरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामजी निवासी ग्राम कुरसंडा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

2–विजय निवासी ग्राम मटरवा थाना तम्बोर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के आभूषण।

2–चोरी के 15 हजार 170 रुपये नकद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित /खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना धौलाना

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.11.2025 को थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गालन्द नहर पुल के पास से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो पर चोरी,गैगेस्टर एक्ट, आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना धौलाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सोनू निवासी ग्राम गोठनी थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी

1– चोरी की 12 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना खुर्जानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सरफराज 2–उमरद्दीन 3–रियासुद्दीन 4–अफसर 5–आरिफ 6–मुस्तकिम उर्फ मुरारी 7–मुबारिक को आजीवन कारावास व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद प्रतापगढ़/थाना कुण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना कुण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को आजीवन कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कलवारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/506 भादवि व 3(2)5 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राम सुरेमन को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना पकडी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना पकडी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवा उर्फ सूबे को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना बरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20(ए) एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजतन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद पीलीभीत/थाना बिलसंडा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत द्वारा थाना बिलसंडा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————